प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 09-09-2022

विषय- जिला कारागार, अलीगढ़ में निरूद्ध 03 विचाराधीन बंदियों को प्रशासनिक आधार पर अन्यत्र कारागारों में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-27867/सामा-1(7)/अलीगढ़/03बंदी/2022, दिनांक 29-08-2022 में की गयी संस्तुति के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्रावधानों के अनुसार जिला कारागार, अलीगढ़ में निरूद्ध निम्नलिखित 03 विचाराधीन बंदियों को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 की कारागारों में स्थानांतरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

| क्र0 सं0 | विचाराधीन बंदी का नाम/पिता का नाम | वर्तमान निरूद्धि | कारागार का नाम, जहां स्थानान्तरित किया जाना है |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | प्रवीन बाजौता पुत्र श्री ब्रजभान उर्फ ब्रजपाल | जिला कारागार, अलीगढ़ | जिला कारागार, खीरी |
| 2 | जितेन्द्र चौधरी उर्फ कंजा पुत्र श्री जवाहर सिंह उर्फ राजेन्द्र चौधरी | जिला कारागार, अलीगढ़ | जिला कारागार, उन्नाव |
| 3 | गौरव शर्मा पुत्र श्री मुनेश शर्मा | जिला कारागार, अलीगढ़ | जिला कारागार, बिजनौर |

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
2 निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
3- अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0 लखनऊ।
4- जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़/खीरी/उन्नाव/बिजनौर।
5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, अलीगढ़/खीरी/उन्नाव/बिजनौर।
6- अधीक्षक, जिला कारागार, खीरी/उन्नाव/बिजनौर।
7- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, अलीगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत बंदियों को जिला कारागार, अलीगढ़ से संबंधित कारागारों में स्थानान्तरित/दाखिल किये जाने की सूचना रेडियोग्राम के माध्यम से शासन को उपलब्ध करायें।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in